बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5 न0वि0/निर्वा–6/17 · 4441 पटना, दिनांक– 5. 7. 2017

चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, फतुहा (पटना) एवं नगर परिषद, बरबीघा (शेखपुरा) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिकाओं के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या–11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर परिषद, फतुहा एवं नगर परिषद, बरबीघा के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु **06.08.2017** की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

राज्यपाल के आदेश से,

4/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–6/17 4441 पटना, दिनांक 5. 7. 2017

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पच्चीस प्रतियां नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

4/7/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–6/17 4441 पटना, दिनांक 5. 7. 2017

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के सचिव/विभागीय मंत्री/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना/शेखपुरा/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/7/2017

प्रधान सचिव